

(प्रपत्र-50)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-6.150किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 1.7360 है० माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

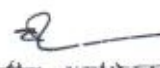
उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 12.1 से प्रतिशत है जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 6.570001- लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन रू० 11.40552- लाख मात्र किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू० होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


अवर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी


उप-प्रभारी विकास
चकराता वन प्रभाग
कालसी


प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)


प्रमाणित
अवर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
नि०ख० लो०नि०वि०,
कालसी